

नगर परिषद, हनुमानगढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अनुरूप)

१५७४७

अनापति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/HANUMANGARH/FIRENOC/2024-25/43425
आवेदक का पता: जारी दिनांक: 18-DEC-2024 वैधता दिनांक: 17-DEC-2025

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: **MATA KITAB KAUR MAHAVIDYALYA**
आवेदक का पता: HANUMANGARH

विषय:- अविवाहित अवापति प्रमाण पत्र जारी करने वाबत

आपके भवन **MATA KITAB KAUR MAHAVIDYALYA, 14 SSW, KOHLA, MEGA HIGHWAY, NEAR TOLL PLAZA, HANUMANGARH, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अविवाहित उम्रकरण याहो पाए गए अतः उपरोक्त युवक व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पांबद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अवापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः-

- अवापति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अवापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जावा आवश्यक होगा, अन्यथा अवापति द्वारा निरस्त मार्फी जावेगी।
- भवन के सामन्तर स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अविवाहित विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाता अवश्यक होता।
- अविवाहित उपकरण समयावधि में सीफिल कराना होगा।
- विरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि याज्ञ सरकार या निगम द्वारा अधिकारी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व कारब सिस्टम कार्यरत नहीं होगा।
- भवन का मुख्य अविवाहित अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व कारब सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि इस्थिति में यह अभिशंख पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पाली के टैक हर समय और चखने होंगे व पक्क व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील निष्ठति में रखने को माल्य होगा।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवारी जाकर सिस्टम का रख रखा व सचालन करना अविवार्य होगा।
- फायर याहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त सुला व्यान अवयोध रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- रोप लेडर व दो दरसा भवन के सभी घरों में घर विचार किया जावा हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अविवाहित युवक प्रमाणपत्र अविवाहित युवक की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व अववाहित किसी भी प्रकार के विवाह हेतु यह पत्र बताए याक्षय नहीं होगा एवं इस वावत आवेदक रख्ये उत्तरदायी होगा।
- यह अवापति प्रमाण पत्र रुफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस आग के लिए अवापति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहा पर लकड़ीप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।



Signed by: Mohammed Yunas
Issuing Authority: DCEO/Commissioner
Location: HANUMANGARH, Rajasthan
Date: 18/12/2024 10:57:40

अविवाहित उम्रकरण

काम समिक्षक अधिकारी

नगरपालिका दस्तावेज़ 1 of 1